

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 7, 1980/श्रावण 16, 1902
No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1980/SRAVANA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 50-ई टी सी (पी एम)/86

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—सामान के अस्थिपंजरों का निर्यात ।

मिसल सं. 49(1)/79-ई 2 से जारी.—1980-81 की निर्यात नीति पुस्तक के
पृष्ठ 11 पर नीति विवरण की क्रम सं. 13(2) के सामने दर्शाई गई मानव के अस्थि-
पंजरों की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मानव के अस्थिपंजरों और उनके अवयवों के
निर्यात की अनुमति निर्यात नीति में दिए गए दो प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर
दी जाएगी । तदनुसार, 1980-81 की निर्यात नीति के नीति विवरण के पृष्ठ 11 पर

क्रम सं. 13(2) के सामने कालम 3 की प्रथम पंक्ति को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :—

“मानव के अस्थिपंजरो और उनके अवयवों के निर्यात की अनुमति - - -
- - - - - द्वारा दी जाएगी।”

ह./-

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 50-ETC (PN)/80

New Delhi, the 7th August, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Subject :—Export of Human Skeletons

F. No. 49(1)/79-EII.—Attention is invited to the export policy of Human Skeletons as indicated against S. No. 13(ii) of Policy Statement on page 11 of Export Policy Book, 1980-81.

2. It is clarified that export of Human Skeletons and Parts thereof shall be allowed subject to production of the two certificates mentioned in the export policy. Accordingly, the first line in col. 3 against S. No. 13(ii) on page 11 of Policy Statement of Export Policy, 1980-81 shall read as under :—

“Export of Human Skeletons and parts thereof will be allowed by the.....

Sd/-

MANI NARAYANSWAMI
Chief Controller of Imports & Exports,